



e-mail id - eencdpatna@gmail.com

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,
फायर ब्रिगेड कैम्पस, बुद्धमार्ग, लोदीपुर, पटना।

दूरभाष सं०- 0612-2226077

पत्रांक.....
प्रेषक.....

दिनांक.....

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
नई राजधानी पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।

अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय अंचल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।

विषय :

निविदा आमंत्रित करने के सम्बंध में।

प्रसंग :

भवदीय पत्रांक 323 अनु० दिनांक 27.02.2017

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक संलग्न कार्य का स्थानीय प्रचार-प्रसार के माध्यम से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित

किया जाता है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

8

कार्यपालक अभियंता
नई राजधानी पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापक- 869 3450 दिनांक - 18/03/2017

प्रतिलिपि - निविदा आमंत्रण सूचना की प्रति के साथ अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०- यथोक्त।

कार्यपालक अभियंता
नई राजधानी पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पटना

Alam
18-3-17

व्यक्तिगत
24-3-17

IT Manager
24/3/17

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,

फायर ब्रिगेड कैम्पस, लोदीपुर, पटना।

अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2. परिमाण विपत्र विक्री का अंतिम तिथि और समय : 28.03.2017 को अपराह्न 03:00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि और समय : 29.03.2017 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खुलने की तिथि और समय : 29.03.2017 को 03:30 बजे अपराह्न।
5. परिमाण विपत्र विक्री का स्थान एवं कार्यालय : (क) अर्वाक्ष्य अभियंता, केंद्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
(ख) कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
(ग) सम्पादित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल सेठ-1 एवं 2 पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
क्रमांक 5 के अनुसार
6. निविदा प्राप्ति का स्थान/कार्यालय
7. कार्य का विवरण -

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(₹० में)	अवधन की राशि (₹० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आरक्षण
1	Emergent Repairing for drainage work of RCC Home Pipe Drain in Exhibition Road near Lav Kush Tower for the year 2016-17	₹93,841.00	₹1,900.00	₹500.00	07 दिन	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

विशेष सूचनाएँ :

1. पथ निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी यथा स्थानीय अधिकर्ता श्रेणी में निविदा अद्यतन नवीनीकृत संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. कार्य के प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अवधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है निर्मित किये जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कामजात में अंकित प्राक्कलित राशि, अवधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य एवं आरक्षण कोई भी अंतिम और मान्य होगा।
3. निविदा के साथ में निम्न सूचनाएँ एवं कामजात जमा करना अनिवार्य होगा।
(क) घोषित अवधन की राशि जो 3/5 वर्ष पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत एवं आयव्यय निधि के रूप में बैंक गारन्टी (प्राक्कलित राशि एक करोड़ एवं ऊपर की स्थिति में) जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पदनाम से पंजें होना चाहिए।
(ख) पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र सिर्फ विद्यालय या अन्तर्गत किसी डाकघर या क्रय किया हुआ होना चाहिए जिसकी वैधता कार्य अवधि तथा डिफेक्ट लायबिलिटी की अवधि को कवर करता हो।
(ग) अपने रजिस्ट्रेशन का पूर्ण खीरा जैसे व्यक्तिगत, संपुक्त, प्रो सि, संख्या आदि।
(घ) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र, वैट नम्बर, सेल टैक्स जमा चुकता पत्र, लेबर लाईसेंस आदि।
(ङ) विज्ञापित कार्य हेतु अनुभव प्राप्त संवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निविदादाताओं को परिमाण विपत्र में कार्य करने का दर प्रतिघण्ट से अधिक/रुम या परिमाण विपत्र दर पर करने हेतु अंकित करना होगा।
5. निविदा से संबंधित कार्य के लिए समुचित श्रेणी के संवेदक भी विभाग द्वारा निर्धारित मशीन एवं उपकरणों की मरम्मत एवं मरुतान के विषय निविदा में भाग ले सकते हैं। कार्य समाप्ति के समय एक मशीनरी एवं प्लाट का अद्यतन विभागीय दर (जोकि प्रमंडल के विपत्र पर आधारित) के अनुसार हायर चार्ज की कटौती संवेदक के विपत्र से किया जायेगा। किसी अन्य संवेदक के प्लान्ट से कार्य कराये जाने की स्थिति में प्लाट मासिक का सहायिता पत्र देना अनिवार्य होगा।
6. सरकारी निविदा अमान्य होगी। साथ ही बिना कारण बताये एक या कभी निविदाओं को खर करने अथवा उन्हें एक से अधिक संवेदकों के बीच बाँटने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
7. परिमाण विपत्र आवंटन के साथ संवेदकों को परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) अद्यतन निबंधन प्रमाण-पत्र अद्यतन आयकर एवं विक्री कर सहायता प्रमाण-पत्र, अद्यतन विक्री कर निबंधन प्रमाण-पत्र, एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिलेखांकित छायाप्रति संलग्न करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्मित नहीं किया जायेगा। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ आरक्षण के मामले में अनिवार्य है।
8. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पटना के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा पटना में भुगतान होगा।
9. आवंटन की प्रक्रिया में निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। विभाग में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर ही प्राथमिकता के अनुरूप संवेदकों से कार्य कराया जायेगा और कराये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में संवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10. सरकारी संवेदकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अवर एक्सपान्सा नहीं किया जाता है ता निविदा के साथ संलग्न अवधन की राशि जमा कर ली जायेगी।
11. एक बार निविदा में भाग लेने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य कराने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो निविदा के साथ संलग्न अवधन की राशि जमा कर ली जायेगी एवं पुनः निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
12. संवेदक निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें। निविदा प्राप्ति के बाद जहाँ है तैसी है, के आधार पर ही संवेदक कार्यपूर्ण करने के लिये बाध्य होंगे।
13. कोई समय युक्ति नहीं दी जायेगी, यह वाक्यता होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। समय पर सलाहपत्र डेम से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निबंधन को कालीकृत करने की कार्यवाई की जायेगी।
14. निर्धारित तिथि को सरकारी अवकाश घोषित होने की स्थिति में परिमाण विपत्र विक्री या निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि ठीक अगले कार्य दिवसों को निर्धारित समझी जायेगी।
15. परिमाण विपत्र की दर से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार की निविदा अमान्य होगी।
16. विचारमूक्त का साथ पत्र देना होगा।
17. ₹25/- साथ से अधिक का कार्य अभी तक इस वित्तीय वर्ष में नहीं आवंटित है का साथ पत्र देना होगा। यह सिर्फ आरक्षण मामले में अनिवार्य है।
18. विस्तृत जानकारी के लिये अयोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
नई राजधानी पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।
18.3.17